कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक **5428** /न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 17—05—2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। छ0ग0 शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुये, आदेश/दिशा—निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं। अतः कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3683/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 03—05—2020 द्वारा आदेश प्रसारित करते हुये दिनांक 17—05—2020 तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40—3/2020—DM-I(A) दिनांक 17—05—2020 के माध्यम से 18—05—2020 से लेकर आगामी 31—05—2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने के संबंध में जारी आदेश के परिपालन में रायगढ़ ि

जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ—साथ संपूर्ण जिले में दिनांक 18—05—2020 से 31 मई 2020 मध्य रात्रि तक या आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40—3/2020—DM–I(A), दिनांक 17 मई 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 253/स.सा.प्र.वि./2020, दिनांक 17—05—2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन के अनुक्रम में जिला रायगढ़ में समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक (माह मई के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश) की जा सकेगी।

1— **परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉ जिले में प्रतिबंधित रहेगी :—**

(1) जिले में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/आटो/ई—रिक्शा की सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

(2) सब्जी एवं फल का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत् प्रातः 07:00 से प्रातः 10:00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी। इसी प्रकार ठेले के माध्यम से फल एवं सब्जी घूम—घूमकर प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बेची जा सकती है किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे दो ठेलों के बीच कम—कम से 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है।

(3) खाद्य पदार्थ, ब्रेड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय/वितरण/भंडारण/परिवहन की अनुमति प्रतिदिन समय प्रातः 07:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक ही होगी।

(4) मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त— प्रातः 07:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक रहेगी।

(5) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक की ही अनुमति होगी।

(6) पान दुकान/ठेले के संचालन का समय प्रातः 07 बजे से दोपहर 10:00 बजे तक (माह मई 2020 के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) की अनुमति होगी। पान दुकान/ठेले में विकय किये जाने वाले पदार्थ—सिगरेट, पान, बीडी, तम्बाकू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेला पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। पान **दुकान/ ठेले** से इन सामग्रियों का मात्र विकय ही किया जावेगा।

(7) सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हास्पिटिलिटी सेवाएं (सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक) बंद रहेंगी, अपवाद—स्वास्थ्य/पुलिस /शासकीय सेवक/ स्वास्थ्यकर्मी /श्रमिक/पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, बस डिपो/स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित केंटीन को छोड़कर। रेस्टोरेंट/होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी किन्तु **टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।**

Scanned with CamScanner

(8) व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट—चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ।

(9) सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

(10) सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स काम्पलेक्स), स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान (सार्वजनिक पार्क) थियेटर, बॉर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक/हॉट बाजार/मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

(11) चाय की दुकान, नास्ता दुकान, चॉट/गुपचुप ठेला, जुस एवं आइस्क्रीम के ठेले एवं फॉस्ट फुड ठेला का संचालन प्रतिबंधित रहेगी।

(12) सभी सामाजिक / राजनैतिक/खेलकूद /मनोरंजन/ शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

(13) सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी।

(14) यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़—भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़—भाड़ न हो।

(15) शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा—निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है

2— व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय :—

(1) <u>**रात्रि कर्फ्यू –**</u> अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण रायगढ़ जिला में सायं 07:00 से प्रातः 07:00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगी जिसका कड़ाई से पालन किया जावे ।

(2) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

(3) आम जन को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करे और उसमें रोजाना अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करे।

(4) दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियेक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें।

3— सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते :—

(1) सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।

(2) दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।

(3) दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।

(4) दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।

(5) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

(6) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

(7) दुकान परिसर में 01—01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियो के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।

(8) विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

(9) अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

(10) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबून एवं पानी की व्यवस्था सुनश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

दाण्डिक प्रावधान :—

उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा—निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। **जिले में हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नही होगी।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(यशवन्त कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक **5428**—A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 17.05.2020

प्रतिलिपिः—

1— सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
2— सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
3— सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
4— सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,
5— आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
6— पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर

————की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

7— पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
9— आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10— सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11— उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
12— सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13— सर्व मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner